UPKJ01-004602-2025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(वि०अधि०) कक्ष सं०-1, कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -332/2026

नवीन चन्द्र मिश्रा पुत्र रघुवीर सहाय मिश्रा,

निवासी- सकरावा थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।

.........आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य **..........अभियोजन पक्ष।**

मुकदमा अपराध संख्या-12/2021

धारा-135 विद्युत अधिनियम

थाना-एन्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम अपराध संख्या-12/2021 थाना-एन्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त **नवीन चन्द्र मिश्रा** की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में महज परेशान करने की नीयत से झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने उक्त मुकदमे से संबंधित कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह विद्युत विभाग का समस्त देय व शेष अदा कर चुका है, कुछ भी शुल्क बकाया नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की कृपा की जाये।

3. अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

4. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र, उभय पक्ष के अभिकथनों तथा सम्बन्धित पत्रावली का समग्र परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा समस्त बकाया, शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क जमा किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि विद्युत विभाग की आख्या दिनांकित 19.02.2026 तथा पत्रावली पर मौजूद जमा रसीद से भी होती है।

5. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत प्रकरण के गुणदोष पर अपनी राय व्यक्त किये बिना मैं जमानत का आधार पर्याप्त पाता हूं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **नवीन चन्द्र मिश्रा** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **पच्चीस हजार रूपये** की **एक जमानत** तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक-09.03.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(वि०अधि०),कक्ष सं०-1, कन्नौज।
J.O.CODE-UP6489

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.10 11:21:41 IST
Reason: BAIL ALLOW
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ